

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- राजीव बडगूजर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
07 / 2024

दायर दिनांक
09.01.2024

निर्णय दिनांक
28.05.2024

अनवान

1. कंवरी पत्नि रामा जाति कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा मजरा चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. कृष्णा पुत्री नाना जाति कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा मजरा चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. नन्दु पुत्री रामा जाति कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा मजरा चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. रोशन पुत्र रामा जाति कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा मजरा चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. शंकरी बाई पत्नि नाना जाति कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा मजरा चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. शान्ति पुत्री उदा जाति कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा मजरा चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. सुवागी पत्नि उदा जाति कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा मजरा चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. सुशील पुत्र उदा जाति कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा मजरा चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1. सुन्दर पत्नि माधु जाति कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा मजरा चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. उदा पिता रूपा जाति कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा मजरा चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. अम्बालाल पिता हमेर जाति कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा मजरा चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
4. घीसू पिता बालू जाति कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा मजरा चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
5. लेहरी पत्नि खेमा जाति कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा मजरा चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. ईन्द्रमल पिता रतनलाल जाति कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा मजरा चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. उदा पिता गोकल जाति कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा मजरा चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. नंदा पिता कालुराम जाति कीर आयु वयस्क निवासी कीरखेडा मजरा चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not for Distribution

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री किशनलाल जाट
एकतरफा



प्रार्थीगण
अप्रार्थीगण

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कीरखेडा पटवार हल्का चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 61 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 197 रकबा 0.52 हैक्ट0 तथा आराजी नम्बर 292 रकबा 1.07 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काशत की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावे। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 28.05.2024 को अप्रार्थी संख्या 1, 2, तथा 5 से 8 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। तथा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के विरुद्ध वकील प्रार्थीगण द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर कर कार्यवाही नहीं चाहने से कार्यवाही ड्रॉप की गयी। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काशतकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काशतकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को पत्थरगढी कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा कीरखेडा पटवार हल्का चाकुडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 61 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 197 रकबा 0.52 हैक्ट0 तथा आराजी नम्बर 292 रकबा 1.07 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर पत्थरगढी किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजीव बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not for Distribution